☎ 0141.2222355

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
(समेकित रोग निगरानी परियोजना (आई.डी.एस.पी.)

क्रमांक: आई.डी.एस.पी./स्वाइन फ्लू/2015/637 दिनांक 5/2/15

समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान।

विषय :– स्वाईन फ्लू रोग की रोकथाम हेतु **आशा सहयोगिनी/एएनएम** से स्कीनिंग कराने बाबत्।

उपरोक्त विषय के क्रम में लेख है कि वर्तमान में राज्य के लगभग सभी जिलों से स्वाईन फ्लू के पॉजिटीव केसेज व मृत्यु तेजी से बढ रहे है। जिसको मद्देनजर रखते हुए स्वाईन फ्लू के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर गठित आरआरटी टीम को प्रतिदिन अपने क्षेत्रों में भिजवाकर आई.एल.आई. केसेज का सर्वे एवं उनका मौके पर ही उपचार करे । इसके साथ ही इस रोग की रोकथाम, बचाव, नियंत्रण एवं उपचार हेतु निम्नांकित कार्यवाही तुरन्त प्रभाव से करवाना सुनिश्चित करें :–

- **आशा सहयोगिनी/एएनएम एवं अन्य रेपिड रेस्पोन्स टीम** द्वारा किये गये घर–घर सर्वे/स्क्रीनिंग की रिपोर्ट प्रतिदिन सांय 06.00 बजे तक निदेशालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।
- जिस जगह से पॉजिटीव केसेज आ रहे है वहां तुरन्त स्क्रीनिंग की जाकर आई.एल.आई. (बी केटेगरी) के मरीजों को दवा दी जावें।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑस्ल्टामीविर दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करे।
- बच्चों , गर्भवती महिलाओं एवं 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में सर्दी, जुकाम एवं बुखार के लक्षण पाए जाने पर तुरंत ऑस्ल्टामीविर दवा शुरू की जावें।
- स्वाईन फ्लू पॉजिटीव रोगी की मृत्यु होने पर उसके घर व आस–पास के 50 घरो का सर्वे व उसके सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों को टेमीफ्लू दवा दिया जावें।
- ग्रामीण स्वास्थ्य समितियों की बैठकों में आम लोगों को रोग की रोकथाम, बचाव, नियंत्रण एवं उपचार की जानकारी की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें।

☎ 0141.2222355

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
(समेकित रोग निगरानी परियोजना (आई.डी.एस.पी.)

की गई स्क्रिनिंग की रिपोर्ट दैनिक रूप से पूर्व में भेजे गये पत्र क्रमांक 607 दिनांक 30.01.15 के साथ संलग्न प्रोफार्मा ए व बी में भरकर ई–मेल आईडी rajasthan_idsp@yahoo.co.in व omcrajasthan@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ. बी.आर. मीणा)
निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः आई.डी.एस.पी./स्वाइन फ्लू/2015/637 दिनांक 5/2/15
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, अति. निदेशक (ग्रा. स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त, संयुक्त निदेशक ।
4. कार्यालय प्रति।

(डॉ. बी.आर. मीणा)
निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर

F:\Hindi Letter 2015.doc